एम.ए.सी.पी. संख्या १६६/२०१९,
१. श्रीमती गायत्री पत्नी स्व. महेश उम्र लगभग ४६ वर्ष
२. छोटू पुत्र स्व. महेश उम्र ९ वर्ष
३. कु. सन्तू पुत्री स्व. महेश उम्र ७ वर्ष
४. अनिकेत पुत्र नत्थू उम्र ५ वर्ष
५. बाबू लाल पुत्र स्व. महेश उम्र ५५ वर्ष
६. श्रीमती राम देवी पत्नी बाबू लाल उम्र ५० वर्ष
नाबालिगान जरिए संरक्षिका श्रीमती गायत्री देवी
समस्त निवासीगण ग्राम कटेरा थाना कटेरा जिला झाँसी हाल निवासी शान्ति नगर, मोंठ जिला झाँसी
------याचीगण

प्रति

१. मेसर्स यदोकुल ग्रेनाइट प्रोपराईटर गजेन्द्र राजा निवासी २५/३ सिविल लाईन ललितपुर जिला ललितपुर
.............मालिक फोरचुनर जीप सं. यू.पी. ९४ के १००८
२. दि ओरिएण्टल इंश्योरेंश कम्पनी जरिये शाखा प्रबन्धक सीता होटल के पीछे सिविल लाईन झाँसी
..........बीमाकर्ता फोरचूनर जीप सं. यू.पी. ९४ के १००८
३. फूल सिंह पुत्र खुशीराम निवासी दैलवारा थाना ललितपुर जिला ललितपुर उ.प्र.
.............चालक फोरचुनर जीप सं. यू.पी. ९४ के १००८
------विपक्षीगण

याचीगण के अधिवक्ता- श्री बलवीर पाली
विपक्षी सं. २ के अधिवक्ता- श्री प्रवीण झा
१२.१२.२०२०

पत्रावली आज **राष्ट्रीय लोक अदालत** में पेश हुयी। यह दावा महेश की मोटर वाहन दुर्घटना मे हुई मृत्यु पर ₹ ५२,५०,००० क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत हुआ है। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष की ओर से सुलहनामा २१बी प्रस्तुत किया गया जो उभय पक्ष की उपस्थिति में तस्दीक किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को २१बी सुलहनामा पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। याचीगण व विपक्षी सं. २ ओरिएण्टल इंश्योरेंश कम्पनी के मध्य हुआ सुलहनामा २१बी याचीगण व विपक्षी सं. २ बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्तागण की उपस्थिति में तस्दीक किया गया है। २१बी सुलहनामा के अनुसार विपक्षी सं. २ बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ ७,४८,००० याचीगण को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी। उभय पक्ष द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष सुलहनामा २१बी की पुष्टि की गयी है तथा याचीगण सुलहनामा २१बी में दर्शित कुल ₹ ७,४८,००० प्रतिकर के रूप में लेने हेतु सहमत है, जिसे विपक्षी सं. २ बीमा कम्पनी याचीगण को देने हेतु तैयार हैं। अतः याचिका सुलहनामा २१बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

याचीगण की याचिका सुलहनामा २१बी के अनुसार निर्णीत की जाती है। सुलहनामा २१बी इस आदेश का भाग रहेगा। विपक्षी सं. २ ओरिएण्टल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वह याचीगण को इस निर्णय/आदेश के दिनाँक से ३० दिन के अन्दर प्रतिकर की धनराशि ₹ **७,४८,००० (सात लाख अड़तालीस हजार)** भुगतान करने हेतु मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के Punjab National Bank A/c 3671000101192489 IFSC- PUNB0367100 में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से कर दे। धनराशि अन्तरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा ट्रांजैक्शन नं. मय याचिका संख्या व नाम बनाम की सूचना न्यायाधिकरण को ईमेल po-mact.jh@up.gov.in पर भेजी जाएगी। उक्त प्रतिकर की धनराशि में से याची सं. १ लगायत ६ क्रमशः ३०, १५, १५, १५, १०, १५ प्रतिशत भाग प्राप्त करेंगे। याचीगण सं. १, ५ व ६ को प्राप्त होने वाली उक्त प्रतिकर धनराशि में से प्रत्येक की ७५-७५ प्रतिशत धनराशि की ३-३ वर्ष के लिए एन्युटी बनाई जाएगी तथा शेष २५-२५ प्रतिशत प्रतिशत भाग प्रत्येक याचीगण आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के जरिए अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त कर सकेगें। याचीगण सं. २, ३ व ४ को प्राप्त होने वाली उक्त प्रतिकर धनराशि में से प्रत्येक की ७५-७५ प्रतिशत धनराशि की १०-१० वर्ष के लिए संरक्षक माता श्रीमती गायत्री पत्नी के माध्यम से एन्युटी बनाई जाएगी तथा शेष २५-२५ प्रतिशत प्रतिशत भाग उनकी वयस्कता तक के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक मे अधिकतम ब्याज देने वाली सावधि जमा योजना मे निवेशित किया जाएगी। याचीगण सं. २ लगायत ४ को प्राप्त होने वाली उक्त प्रतिकर की धनराशि उनके नाम जरिये संरक्षिका श्रीमती गायत्री देवी, उनकी वयस्कता की अवधि तक के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सर्वोच्च ब्याज दर देने वाली सावधि जमा योजना में जमा की जाती रहेगी, जिसकी धनराशि वे वयस्क होने पर प्राप्त कर सकेंगे।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.12.12 15:37:46 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal Jhansi